निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 66.**वर्ष** 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई खण्ड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई खण्ड देहरादून के माह 2/2017 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा सर्व श्री अनिल कुमार एवं श्री राघवेंद्र सिंह सहायक लेखापरीक्षा आधिकारी द्वारा श्री डी पी सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में दिनाक 31/2018 से 12/1/2018 तक संपादित की गई जिसमे माह 2/2017 से 12/2017 तक के माहों की जांच की गई।

<u>भाग</u>-I

(ii) **परिचयात्मकः** कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून विगत लेखापरीक्षा दिनांक 20/2/2017 से 02/03/2017 तक श्री राजेश सिन्हा एवं श्री अक्षय कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा श्री नीरज चुंगू,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में निष्पादित की गई थी जिसके अंतर्गत माह10/2016 से 01/2017 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गई थी।

(iii) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई खण्ड, देहरादून** के अंतर्गत विकास खण्ड सहसपुर की सीमा से मसूरी डोईवाला रायपुर को सम्मिलित करते हुए हरिद्वार की सीमा तक

(iv) विधानसभा क्षेत्र(आंशिक) के अंतर्गत आने वाले मार्गो का निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का कार्य

(v) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिकअवशेष			स्थापना		गैरस्थापना	
	मु.शीर्ष	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)
14-15	8443			3129.91 1205.69	3126.34 1184.97		
15-16	8443	-	-	2843.93 653.41	2843.93 650.56		
16-17		-	-	2009.44	2009.44		

	8443			650.37	388.63		
17-18	8443	-	-	946.33 45.47	779.78 197.28		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य(+) `	बचत(-) `
2015-16		शून्य			
2016-17					
2017-18(10/2017)					

(vi) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "A"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1.सचिव,सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड

2.प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष,सिंचाई विभाग ,उत्तराखण्ड, देहरादून

3. मुख्य अभियन्ता स्तर-2,सिंचाई विभाग,देहरादून

4.अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल,देहरादून

5.अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई खण्ड,देहरादून

(vii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई खण्ड, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई खण्ड देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2017 को विस्तृत जांच हेतु एवं नाबार्ड योजना के अंतर्गतदहरदु न के डोईवाला विकास खंड के अंतर्गत पोखरी, लिस्टरबाद एवं घमंडपुर नहरों को RCC NP-3 पाइप में भूमिगत करना एवं रानी पोखरी नहर सेवा मार्ग की चौडीकरण का कार्य, चयनित किया गया।

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी

एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक ---------से ----------का निरीक्षण किया गया।

खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 3/2017 तथा 9/2016 तक की गई।

फार्म 51: माह 12/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम Rs 831871.62

भाग द्वितीय Rs2412901.41

खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह12/2017 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	590497.00
(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	शून्य
(घ)	निक्षेप	15353902.70
(ङ)	भण्डार	शून्य

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 1- आगणन की मात्राओं में अनावश्यक वृद् ध करते हुये 100.82 लाख अ धक का आगणन बनाया जाना।

जनपद देहरादून में नाबार्ड के अंतर्गत वकास खण्ड रायपुर में कलंगा नहर के सेवामार्ग के चौड़ीकरण की योजना संचाई वभाग द्वारा गठित की गई थी। इस हेतु नाबार्ड द्वारा 524.94 लाख की स्वीकृति (मार्च-2015) उत्तराखण्ड शासन को प्रदान की गई और शासन ने इतनी ही धनरा श की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी। उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति (मार्च-2016) मुख्य अ भयन्ता (गढ़वाल) द्वारा भी उतनी ही धनरा श की प्रदान कर दी गई थी।

खण्ड के अ भलेखों की जांच में पाया गया क उक्त सेवामार्ग 'कलंगा नहर के सेवामार्ग के चौड़ीकरण की योजना' को लोक निर्माण वभाग द्वारा रायपुर कद्दूखाल राज्य मार्ग घो षत कर दिया गया था एवं उक्त राजमार्ग के चौड़ीकरण की योजना लोक निर्माण वभाग के द्वारा प्राक्कलन गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत उक्त मार्ग के निर्माण एवं डामरीकरण का अनुबंध गठित कर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया था। लोक निर्माण वभाग द्वारा कार्य आरंभ करने पर संचाई वभाग द्वारा सेवामार्ग की चौड़ीकरण के लए गठित योजना का संदर्भ देते हुये लोक निर्माण वभाग को सेवामार्ग पर कराये जा रहे कार्यों को बन्द करने के लए कहा गया।

संचाई वभाग द्वारा प्रस्तुत कए गए प्रतिवेदन के अनुसार नहर की कुल लम्बाई 5.9 कमी के सापेक्ष 1.170 कमी की लम्बाई में ही संचाई वभाग द्वारा सड़क निर्माण कार्य सम्पादित कया जाना था। कन्तु कार्य के आगणन की जांच में पाया गया क आगणन में कार्य की लम्बाई 2.00 कमी लेते हुए गठित की गई थी। जब क संचाई वभाग को मात्र 1.117 कमी लम्बाई में ही सड़क निर्माण का कार्य करना था। इस प्रकार खण्ड द्वारा आगणन की मात्राओं में अनावश्यक वृद् ध करते हुये 100.82 लाख अ धक का आगणन बनाया गया। (ववरण संलग्न है)

उपरोक्त के संबंध में इं गत करने पर खण्ड ने उत्तर दिया क उक्त सेवामार्ग बल्दी नहर के शीर्ष तक पूर्व से ही नि र्मत है। प्राक्कलन में जो ग्राम द्वारा जाने वाले रास्ते से लगभग 3.00 कमी की दूरी पर स्थित है। प्राक्कलन में लगभग 2000 मी. अनुमानित लम्बाई इस लए ली गई थी की ग्राम द्वारा जाने वाले रास्ते से बल्दी नहर के बने हेड़ तक कुछ भाग को भी नि र्मत कया जाए परन्तु उच्च अ धकारियों द्वारा केवल दावरा (5.9 कमी) तक ही निर्माण के आदेश दिये गए।

खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क गठित प्राक्कलन की आख्या के अनुसार खण्ड को मात्र बल्दी पुल से ग्राम द्वारा को जाने वाले मार्ग तक (chainage 4.730 से 5.900 कमी.) तक सड़क निर्माण का कार्य कराया जाना था जो क 1.170 कमी ही था परन्तु खण्ड ने कार्य का आगणन 830 मी. अ धक का बनाया जिससे आगणन की लागत में अनावश्यक वृद् ध हुई।

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–2 ब

प्रस्तर 2– : रू0 35.81 लाख की धनराशि के सीमेन्ट का असमायोजित रहना।

खण्डीय स्तर पर भण्डार सामग्री से संबंधित अभिलेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी के समय खण्ड एवं उपखण्डीय अभिलेखों में परिलक्षित अवशेष सामग्रियों का मिलान कर लेखाबन्दी के समय समायोजन किया जाना चाहिए।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून के भण्डार सामग्री से संबंधित प्रपत्र–4 एस. एवं उपखण्डीय भण्डार सामग्री से संबंधित प्रपत्र–3 एस. की नमूना जॉच (जनवरी 2018) में पाया गया कि खण्डीय एवं उपखण्डीय स्तर पर मार्च 2017 की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी के समय निम्न विवरण के अनुसार रू0 35.81 लाख की लागत की सीमेण्ट का समयोजन नहीं किया गया था।

उपखण्ड का नाम	सीमेण्ट बैग संख्या				
	4 एस.	3 एस.	अन्तर	दर	धनराशि
उपखण्ड–2	3161	494	2667	265	7,06755
उपखण्ड–3	8791	27	8764	265	23,22,460
उपखण्ड–4	600	44	556	265	1,47,340
उपखण्ड–5	357	0	357	265	94,605
उपखण्ड–6	(–)1168	0	(–)1168	265	3,09,520
				योग	**3580680**

उपरोक्त के संदर्भ में इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में सहायक अभियन्ताओं को पत्र लिखा गया है। समायोजन की कार्यवाही चल रही है।

उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं है क्योंकि उक्त भण्डार सामग्रियों का समायोजन खण्ड द्वारा विगत दो वर्ष से भी अधिक समय से नहीं किया गया था।

अतः रू0 35.81 लाख की धनराशि के सीमेन्ट के असमायोजित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 3 - रॉयल्टी की धनराशि न काटा जाना।

वत्तीय नियमानुसार किसी भी प्रकार का भुगतान करने से पूर्व देयक से सभी प्रकार के राजस्व की धनराशि कि वसूली कर ली जानी चाहिए ता क शासकीय हितों की रक्षा की जा सकें। खण्ड के वाउचर की जांच के दौरान पाया गया कि खण्ड के माह 6/2017 के वाउचर संख्या 8,11,21,63,64,65,66,73,9093,116,123,124,149,152 में बालू बजरी संबन्धित कार्य तो संपादित कए गए थे कन्तु उक्त देयकों से रॉयल्टी की धनरा श न तो काटी गई थी न ही रॉयल्टी स्टेटमेंट देयक के साथ संलग्न था साथ ही रॉयल्टी वसूल कए जाने/ वसूल न कए जाने संबंधी कोई टिप्पणी अं कत नहीं थी। इसके अतिरिक्त खण्ड के अंतर्गत माह 6/2017 के वाउचर संख्या 31 से 49, 51,125, 126, 128, 132, 133, 136, 149, 153, 154, 158, 159 के सापेक्ष वसूल की जाने वाली रॉयल्टी की कुल धनरा श 4,39,070.5 नहीं काटी गई थी साथ ही देयक पर टिप्पणी अं कत थी क रॉयल्टी पेपर उपखंड में जमा है जब क भुगतान करते समय वाउचरो के साथ ही रॉयल्टी से संबन्धित मूल प्रपत्रों को संलग्न कया जाना चाहिए ता क उनका कसी प्रकार दुरुपयोग न कया जा सकें।

लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत काराया गया क संपरीक्षा को प्रस्तुत कर दिये गए है। खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क वाउचर संख्या 8,11,21,63,64,65,66,73,90,93,116,123,124,149,152 से संबन्धित कोई प्रपत्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराएं गए थे अतः देयकों से रॉयल्टी की धनरा श न काटे जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर 1 : भण्डार सामग्री रू0 30.76 लाख की लागत का अनुपयोगी रहना।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून के भण्डार सामग्री से संबंधित अभिलेखों की नमूना जॉच (जनवरी– 2018) में पाया गया कि खण्ड के अन्तर्गत भण्डार लेखे से संबंधित प्रपत्र 4 एस. में निम्न विवरणानुसार रू0 30.76 लाख लागत की अन्य सामाग्री/आर0सी0सी0 पाइप अनुपयोगी पड़ी थी।

क्रम संख्या	पाइप का आकार /सामाग्री का प्रकार	मात्रा (संख्या मे)	दर	धनराशि
1	जीआई वाइर क्रेट	65	1500	97500
2	आउट लेट शटर	152	1500	228000
3	एमएस शटर	114	1500	171000
4	एमएस गर्डर	11.42	12000	137040
		मात्रा (मीटर मे)		
5	जी आई साकेट 80 एम एम	136	1506	204816
6	सालवूड स्लीपर	42.18	800	33744
7	जीआई पाइप 80 एम एम	599.20	613	367309.60
8	आर.आर.सी. पाइप 250 एम एम	180	200	36000
9	आर.आर.सी. पाइप 300 एम एम	10	165	1650
10	आर.आर.सी. पाइप 450 एम एम	37.50	1200	45000
11	आर.आर.सी. पाइप 600 एम एम	423.3	1995	844483.5
12	आर.आर.सी. पाइप 800 एम एम	117.5	1500	176250
13	आर.आर.सी. पाइप 900 एम एम	49	950	46550
14	आर.आर.सी. पाइप 1000 एम एम	57.40	4000	229600
15	आर.आर.सी. पाइप 1200 एम एम	81.6	5600	456960
			कुल योग	3075903

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त के संदर्भ में इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में अवगत कराया गया कि भविष्य में उपयोग कर लिया जायेगा। आर.आर. सी. पाइप

/अन्य सामाग्री के खण्ड में कब से अनुपयोगी पड़े रहने पर, अभिलेख जॉच कर अवगत करा दिया जायेगा, उत्तर दिया गया।

लेखापरीक्षा में खण्ड का उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि विभागीय उदासीनता के कारण उपर्युक्त सामग्री का उपयोग विभाग द्वारा नहीं किया गया । क्योंकि विगत दो वर्षों से खण्ड द्धारा इन सामाग्रीयों का उपयोग नहीं किया गया था।

अतः रू0 30.76 लाख लागत की भण्डार सामग्री के अनुपयोगी रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2 : रू0 116.23 लाख व्ययोपरान्त लक्षित सींच की प्राप्ति न होना।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जॉच (जनवरी 2018) में पाया गया कि खण्ड के अन्तर्गत निम्नांकित नहरों की मरम्मत पर वर्ष 2014 से वर्ष 2017 के मध्य कुल रू0 116.23 लाख व्ययोपरान्त कुल सृजित सिंचन क्षमता 4158 हैक्टेअर के सापेक्ष मात्र 1530 हैक्टेअर की वास्तविक सींच प्राप्त (मार्च 2017) की जा रही थी।

क्रम संख्या	नहर का नाम	सृजित सिंचन क्षमता (है0 में)	मार्च 2017 तक वास्तविक सींच (है0 में)	मरम्मत पर व्यय (रू0 लाख में)
1.	छिद्दरवाला खदरी	534	240	16
2.	धर्मपुर	805	149	8
3.	महादेव खाला	15	06	9
4.	विधोली कन्डोली	253	12	14
5.	आसन नहर	540	453	11.50
6.	सिमलास ग्रान्ट	336	262	16
7.	डूँगा नहर	380	98	14.23
8.	शीशमबाड़ा नहर	120	17	5.50
9.	कोटडा सन्तोर	360	17	4
10.	हरीपुर कला	236	78	5
11.	राजपुर फीडर	157	27	4.50
12.	सौडा सरौली	130	34	4.50
13.	खौरी खुर्द	292	137	4
कुल योग		**4158**	**1530**	**116.23**

उपरोक्त के संदर्भ में इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में अवगत कराया गया कि नहरों के कमान्ड क्षेत्रों में आवासीय, व्यवसायिक भवनों का निर्माण होना एवं अधिकांश नहरों के स्रोतों पर पानी का कम होना भी है, विधोली कन्डोली, आसन नहर, डूँगा नहर, शीशमबाड़ा नहर, एवं कोटड़ा सन्तोर नहर पुर्नगठन के पश्चात सिंचाई खण्ड विकास नगर को हस्तान्तरित (सितम्बर–2016) हो चुकी है।

खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं था क्योंकि खण्ड द्वारा इन नहरों पर विगत तीन वर्षों में रू0116.23 लाख व्यय किया गया था तथा लक्षित सींच के सापेक्ष मात्र 37 प्रतिशत वास्तविक सींच ही प्राप्त हो रही थी। हस्तान्तरित नहरों पर भी सिंचाई खण्ड देहरादून द्वारा ही हस्तानतरण से पूर्व नहरों की मरम्मत पर व्यय किया गया था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः3- त्रुटि पूर्ण वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड देहरादून के लेखा अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि श्री विजय सिंह रावत का वेतन निर्धारण 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार दिनांक 18/3/2011 को 12280+4800 निर्धारित किया गया था जांच में आगे पाया गया कि 18/3/2011 को ही पुनः fitment table का उपयोग करते हुए उनका वेतन 13950+4800 पर पुनः निर्धारित किया गया था पुनः वेतन निर्धारण किए जाने संबंधी कोई सक्षम शासनादेश सेवा पुस्तिका में दर्ज/संलग्न नहीं पाये गए थे।जिसके अंतर्गत अधिकारी पुनः वेतन निर्धारित किया गया था प्रथम दृष्ट्या अधिकारी को अधिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है जिसका विवरण संलग्न है लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण की जांच कर लेखा परीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

खंड का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी का वेतन निर्धारण करने मे पर्याप्त सतर्कता बरती जानी चाहिए एवं वेतन निर्धारण संबन्धित शासनादेश, जिन के अंतर्गत वेतन निर्धारित किया गया है, सेवा पुस्तिका में चस्पा किए जाने चाहिए ताकि तथ्यों की पुष्टि की जा सकें।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण कर अधिक वेतन दिये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन		
		भाग दो अ	भाग दो ब
1	12/2003-04	-	1
2	20/2004-05	-	1,2
3	45/2005-06	-	**1**
4	56/2006-07	-	**1,2,3**
5	39/2007-08	1	**1,2,3,4,5**
6	65/2008-09	1	**1,2,3,4,5**
7	89/2010-11	-	**1,2,3**
8	78/2011-12	-	**1,2**
9	57/2013-14	1	**1**
10	71/2015-16	-	**1,2,3**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			खण्ड द्वारा पूर्व IR एवं प्रस्तरों का उत्तरालेख प्रस्तुत नहीं कया गया।	

अनिस्तारित प्रतिवेदनो का उत्तरालेख अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल को प्रेषित किया गया है ।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

<u>भाग-V</u>

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई खण्ड देहरादून,**तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

2. **अप्रस्तुत अभिलेख- शून्य**

3. **सतत् अनियमितताएःशून्य**

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री आर. के. तिवारी	अधिशासी अभियन्ता पूर्व लेखा परीक्षा से 22/6/2017 तक
2.	श्री डी. के. सिंह	अधिशासी अभियन्ता 22/6/2017 से वर्तमान तक

5.**विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबद्ध रहे।**

1.श्री एच. एस. रावत

2. श्री के. एस. राणा

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून,**को इस आशय से प्रेषितहै कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा)उत्तराखंड,कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र-2